न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 146 / 2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 18 / 12 / 2025
निर्णय दिनांक – 18 / 12 / 2025

अनवान

1. मानाराम पुत्र छोगा निवासी कलालों की आंती निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द व अन्य।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 114 में प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातें में प्रार्थीगण का नाम उदयराम पुत्र हुक्मा, छगनलाल पुत्र छोगा, देवीलाल पुत्र हुक्मा, मदनलाल पुत्र छोगा, मांगीलाल पुत्र छोगा, मानाराम पुत्र छोगा जाति राव दर्ज है जिसके स्थान पर उदयराम पुत्र हुक्मा, छगनलाल पुत्र छोगा, देवीलाल पुत्र हुक्मा, मदनलाल पुत्र छोगा, मांगीलाल पुत्र छोगा, मानाराम पुत्र छोगा जाति कलाल शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 114 में उदयराम पुत्र हुक्मा, छगनलाल पुत्र छोगा, देवीलाल पुत्र हुक्मा, मदनलाल पुत्र छोगा, मांगीलाल पुत्र छोगा, मानाराम पुत्र छोगा जाति राव दर्ज रिकॉर्ड है। पटवार हल्का लसानी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार देवगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 114 में उदयराम पुत्र हुक्मा, छगनलाल पुत्र छोगा, देवीलाल पुत्र हुक्मा, मदनलाल पुत्र छोगा, मांगीलाल पुत्र छोगा, मानाराम पुत्र छोगा जाति राव के बजाय उदयराम पुत्र हुक्मा, छगनलाल पुत्र छोगा, देवीलाल पुत्र हुक्मा, मदनलाल पुत्र छोगा, मांगीलाल पुत्र छोगा, मानाराम पुत्र छोगा जाति कलाल दर्ज जाने की अनुशंषा की गई। इसी कम में राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम कलालों की आंती जमाबन्दी संवत् 2070–73 खसरा संख्या 512, 746 / 515 में नामान्तरण संख्या 1295 दिनांक 20 / 12 / 2010 का नोट डाला गया है जिसमें डालचन्द पिता हुक्मीचंद के बजाय देवीलाल उदयराम पिता हुक्माकलाल दर्ज हुआ जिसके नवीन आराजी संख्या 900, 901 होना अवगत हुआ है। इसी प्रकार नामान्तरण संख्या 1225 में छोगा के विरासती नामान्तरण में कलाल अंकित है। रजिस्टर्ड विकय पत्र पूर्व में 2008 में विकय छोगा पिता सोला कलाल अंकित है। अतः उक्त अभिलेख के अवलोकन अनुसार इनकी जाति कलाल होने की पुष्टि होती है।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 114 में उदयराम पुत्र हुक्मा, छगनलाल पुत्र छोगा, देवीलाल पुत्र हुक्मा, मदनलाल पुत्र छोगा, मांगीलाल पुत्र छोगा, मानाराम पुत्र छोगा जाति राव के स्थान पर उदयराम पुत्र हुक्मा, छगनलाल पुत्र छोगा, देवीलाल पुत्र हुक्मा, मदनलाल पुत्र छोगा, मांगीलाल पुत्र छोगा, मानाराम पुत्र छोगा जाति कलाल दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18 / 12 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मो[illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जि. राजसमन्द (राज.)